शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-323(1)/57-2022-2(जी)/2022टीसी-2

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 2022

विषय:- ऑन लाईन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली (आईटीआईएस) लॉच करेंगे, जो मंदिरों का विवरण प्रदान करेगी और जिसमें उसके इतिहास एवं रूट मैप जैसी जानकारी शामिल किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक शासन के पत्र सं0- 235/57-2022-2(जी)/2022टी0सी0-2 दिनांक 28.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इसके संबंध में अवगत कराना है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र, 2022 के सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन खण्ड में सम्मिलित बिन्दु ऑन लाईन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली (आईटीआईएस) लॉच करेंगे, जो मंदिरों को विवरण प्रदान करेगी और जिसमें उसके इतिहास एवं रूट मैप जैसी जानकारी शामिल किये जाने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिलाधिकारी, शामली, सहारनपुर एवं कानपुर देहात द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना मंदिरों की पौराणिकता तथा उसके इतिहास आदि के संबंध में सुविचारित तथ्य अंकित नही किये गये है।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद में स्थित मंदिरों का विवरण, उसका इतिहास तथा जनपद मुख्यालय से दूरी सहित जनपद में गुजरने वाले प्रमुख मार्गो से मंदिर स्थल की दूरी के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर विवरण अंकित करते हुए 15 दिवस के भीतर धर्मार्थ कार्य विभाग वेबसाइट dharmarthkarya57@gmail.com पर हार्ड कॉपी सहित साफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने का कष्ट करे:-

1. सूचना प्रपत्र के कॉलम-4 में मंदिर का महत्व एवं उसका इतिहास के संबंध में मंदिर की पौराणिक महत्ता, मंदिर में वर्ष भर में आयोजित किये जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम, मंदिर में आने वाले

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं जिसमें वहॉ उपलब्ध वहॉ अवस्थापना सुविधा का उल्लेख हो, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के संबंध में सुस्पष्ट टिप्पणी 250 शब्दों में अंकित की जाये।

2. सूचना प्रपत्र के कॉलम-5 में जनपद मुख्यालय से दूरी/रूट मैप के संबंध में जिला मुख्यालय से दूरी के साथ में मंदिर तक पहुँचने हेतु जनपद से गुजरने वाले प्रमुख मार्गो से भी मंदिर की दूरी का उल्लेख किया जाये।

3. सूचना प्रपत्र के कॉलम-6 अभियुक्ति के संबंध में मंदिर के राजस्व अभिलेखों में प्रास्थिति, मंदिर प्रबन्धन की प्रास्थिति आदि बिन्दुओं पर सुस्पष्ट टिप्पणी अंकित की जाये।

4. उक्त कार्य हेतु जनपद स्थर पर नामित किये गये नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम तथा कार्यालय सहित स्वयं का मोबाईल नम्बर/दूरभाष नम्बर प्रपत्र के साथ अंकित किया जाये।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-323(1)/57-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सूचनार्थ एवं कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।